2019/00946

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14 / 2019 (अपील)

उनवान

मुकुट पुत्र श्री लाल जाति मेघवाल आयु 45 साल खेडली जाटान, तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये क्षैत्रीय वन अधिकारी कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र कुंमार नन्दवाना (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 26.12.2013 मिसल नम्बर 439 / 2013
न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 09.08.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई।

3. उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिकमी की परिभाषा में नहीं आता है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं रहा। अपीलाण्ट का नाका कचनावदा अधीन वन खण्ड कचनावदा ग्राम खेडली घाटा में खसरा नम्बर 380 की 0.32 हेक्टर भूमि पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुऐ निर्णय जेर अपील विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि "अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित

किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं रहा। अपीलाण्ट का नाका कचनावदा अधीन वन खण्ड कचनावदा ग्राम खेडली घाटा में खसरा नम्बर 380 की 0.32 हेक्टर भूमि पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुऐ निर्णय जेर अपील विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है, और तावान की राशि जमा करवा दी है।" अपीलाण्ट की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन एंव पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति का अवलोकन अनुसार यह पाते है कि अपीलाण्ट अप्रार्थी ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया है, अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

मुद्रा